



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/ट्रेप/राजगढ/अलवर/2022/

4590


जयपुर दिनांक:- 21/10/22

-: आदेश :-

श्री नेतराम मीणा, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 23.9.2022 को गिरफ्तार किया जाकर तफ्तीश प्रारंभ की गई है एवं गिरफ्तारी दिनांक से न्यायिक अभिरक्षा में है।

श्री नेतराम मीणा को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत गिरफ्तारी दिनांक 23.9.2022 से निलम्बित (Deemed to have been suspended) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपनी उपस्थिति पंचायती राज विभाग, मुख्यालय, जयपुर पर प्रस्तुत करेंगे।

निलंबन अवधि में श्री मीणा को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 14.12.2000, 10.8.2001 एवं 31.7.2018 के क्रम में आदेश की पुष्टि करने हेतु प्रेषित है।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
8. जिला कलक्टर, अलवर।
9. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर।
11. श्री नेतराम मीणा, आरआरडीएस, विकास अधिकारी पंचायत समिति राजगढ जिला अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे पंचायती राज विभाग, मुख्यालय पर इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करेंगे तथा बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
13. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।


(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)